

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0-5/अ0प्र0-01-36/2024

67 /पटना, दिनांक- 28.7.26

मो0 यासीन अंसारी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल के द्वारा कनीय अभियंता के रूप में स्वयं के चिकित्सा हेतु दिनांक 06.07.2023 से 09.08.2023 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के प्रावधानानुसार उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश अवधि में मो0 यासीन अंसारी, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

27/07/26

(अभय झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-36/2024

1096

/पटना, दिनांक- 28.7.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-36/2024

1096

/पटना, दिनांक- 28.7.26

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-05, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी/रक्सौल/मो0 यासीन अंसारी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रक्सौल एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/26

सरकार के अपर सचिव